228वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

आज राज्य सभा का 228वां सत्र, जोकि 21 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ था, समाप्त हो रहा है। निष्पादित किए गए और निष्पादित नहीं किए गए कामकाज का रिकार्ड सार्वजनिक है, और इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ब्योरा महासचिव द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस सत्र का, विशेषकर इसके दूसरे भाग का अनुभव अपने दैनिक कार्यकरण में सभा के सामने उपस्थित स्थिति से उत्पन्न कई मुद्दों पर गहन चिंतन करने पर मजबूर करता है। तीन प्रश्नों का विशेष रूप से समाधान खोजना होगा। पहला, क्या कार्यवाही में बार-बार व्यवधान की वजह से विचार-विमर्श, विधायन तथा जबावदेही के बीच का संतुलन समाप्त हो गया है? दूसरा क्या प्रक्रिया संबंधी नियमों तथा विभिन्न सरोकारों के संबंध में अपना मत रखने के लिए सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा महसूस की जा रही आवश्यकता के बीच बढ़ते हुए अंतराल को भरने का समय नहीं आ गया है? यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा इस सभा की महत्ता को बनाये रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से करना होगा। तीसरा, क्या इस महती सभा के सदस्यों ने जनता के मत पर इस बाधाकारी व्यवहार के प्रभाव का मूल्यांकन किया है?